राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	82/2016 लालचन्द / [illegible] हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/9/20	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है की वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष के विवाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का मुख्य रूप से यह अंकित करते हुये प्रस्तुत किया की विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार नारायण पुत्र रुघनाथ मेघवंशी था जिसके कोई जायंदा पुत्र व् पुत्री नही होने के कारण वादी की हिन्दू रीती रिवाज के अनुसार समाज व् ग्रामीण प्रतिस्ठ व्यक्तियों के समक्ष दत्तक ग्रहण की रश्म अदा की गयी थी तथा खातेदार नारायण की मृत्यु पर समस्त क्रियाकर्म वादी द्वारा सम्पन करवाये गये एवं पगड़ी रस्म भी वादी द्वारा की गयी थी। प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा सहवन से नारायण पुत्र रुघनाथ की मृत्यु के बाद कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड स्वयं के नाम दर्ज करवा िलयागया। जिसके बाबत जानकारी होने के बाबत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिये पंजीकृत वसीयत नाम दिनांक 13.07.2005 को सम्पूर्ण आराजीयात का मालिक अपने दत्तक पुत्र वादी को होने का वसीयतनामाँ उपपंजीयक आमेर के समक्ष पंजीकृत करवा िलयागया। प्रतिवादी संख्या 6 जो प्रतिवादी संख्या 1 के कुटुंब की सदस्या है ने कूटरचित तरीके विवादित आराजीयात को िबना प्रतिपल राशी अदा किये व बिना कब्जा प्राप्त किये ही उक्त आराजीयात में से हिस्सा स्वयं के नाम विक्रय पत्र तस्दीक करवा कर हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामत करवा दी गयी। जो प्रारम्भ से ही वादी के अधिकारों के प्रति प्रभावशीन है विवादित आराजीयात में वादी का अपने दत्तक पिता नारायण के जीवन काल से ही कब्जा चला आ रहा है। दिनांक 02.08.2014 को कुछ अजनबी व्यक्तियों द्वारा मौके पर आकर भूमि क्रय करने की बातचीत करने व जबरन कब्जा से वादी को बेदखल करने की िलानिया धमकी देने से वादकारण उत्पन हुआ। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 2 की और से एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 िनयम1 (घ) सी पी सी मुख्य रूप से इस आशय का पेश किया की वादी इस प्रकरण में अपने आप को दत्तक पुत्र घोषित करवाना चाहता है। जो दत्तक होने की घोषणा मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही होकर सक्षम सिविल	

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	82/2016 लालचन्द / तीजा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय को क्षेत्राधिकार होने से वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार के अभाव में विधि द्वारा वर्जित होने से काबिले ख़ारिज है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की मद संख्या 6 अनुतोष की मद संख्या क में अंकित अभिवचनों के आधार पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.07.2014 को प्रभाव शून्य में घोषित किये जाने का अनुतोष मागा गया है जो मान्य न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में नही होकर सक्षम सिविल न्यायालय में निहित होने से भी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कोई श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार के अभाव में पोषणीय नही होने से काबिले ख़ारिज है | जिस पर वादी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह अंकित किया गया की वादी का वाद पत्र हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत कृषि भूमि में हक व अधिकारों की घोषणा बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया है | जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है | अत: प्रार्थना पत्र आदेश 7 िनयम 11 (घ) सी पी सी ख़ारिज फरमाया जावे | ततपश्चात प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत किया गया हैजिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 िनयम11 (घ) सी पी सी उभयपक्षों की सुनवाई तक अपने निर्णय दिनांक 27.01.2016 के द्वारा वादी का वाद श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार के अभाव में पोषणीय नही होने से तथा विधि द्वारा वर्जित होना धारित कर अन्तर्गत प्रार्थना पत्र आदेश 7 िनयम11 (घ) सी पी सी ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी | िजसपर बहस अभिभाषक समायत की गयी |

अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस के प्रारम्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 13.07.2005 के पेज नम्बर 3 के पैरा नम्बर 2 की और आकर्षित करा कर निवेदन किया कि स्वयं तीजा देवी द्वारा अपनी पंजीकृत वसीयत में अपीलांट लालचन्द को गोद लेने का

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
82/2016	लालचन्द / तीजा	

का तथ्य स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है एवं क़ानूनी ज्ञान के अभाव में गोदनामा नही बनवाये जाने का तथ्य भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट था की वादी/अपीलांट का हक़ अधिकार विवादग्रस्त भूमि में स्पष्ट रूप से निहित है | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राशन कार्ड की प्रति की और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर निवेदन किया की उक्त राशन कार्ड में भी तीजा वादी अपीलार्थी की माँ की हेसियत से ही है जिससे भी स्पष्ट था की वादी/अपीलांट नारायण एवं तीजा का दत्तक पुत्र है एवं विधिक वारिस है जिसके विधिक अधिकारों की घोषणा अधीनस्थ न्यायालय को वाद पत्र के माध्यम से चाही गयी थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की अनदेखी सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (घ) सी पी सी के माध्यम से वादी का वाद प्रारम्भिक तौर पर ही गलत रूप से ख़ारिज फरमा दिया गया है | जबकि अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था की वे वाद एवं जवाब वाद प्राप्त कर तनकीयात कायम कर साक्ष्य सबूत के आधार पर कृषि आराजीयात के सन्दर्भ में चाही गयी घोषणा के वाद का निस्तारण करते | अत: सरसरी तौर पर पारित निर्णय जैर निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण तनकीयात कायम साक्ष्य लिए जाकर गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे |

अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि तीजा बेवा नारायण की खातेदारी की भूमि ही एवं नारायण की मृत्यु वर्ष 1975 में होने के पश्चात से ही विवादग्रस्त भूमि तीजा के नाम दर्ज रही | एवं तीजा द्वारा ही रेस्पो संख्या 2 व 7 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि हस्तान्तरित की गयी | वादी/अपीलांट उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को प्रभाव शून्य घोषित करवाने हेतु वाद पत्र लेकर आये है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर स्पष्ट रूप से सिविल न्यायालय को है एवं वादी/अपीलांट द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8/2/2016	लालचन्द / तीसा

अपने वाद में माध्यम से गोद पुत्र की घोषणा भी चाही गयी थी जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर स्पष्ट रूप से सिविल न्यायालय को है अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से निर्णय जैर अपील पारित किया गया है जिसमे कोई त्रुटी नही होने से अपील अपीलांट ख़ारिज फरमाई जावे |

हमने अभिभाषक पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्षप्रतिवादी संख्या 2 की और से जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (घ) जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत किया गया | उसके पैरा नम्बर 1 में अंकित किया गया की वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में मद संख्या 3 में अभिवचनो के आधार पर वादी इस प्रकरण में अपने आप को दत्तक पुत्र घोषित करवाना चाहता है जो दत्तक होने की घोषणा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही होकर सक्षम सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार होने से वादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त उनवानी प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार के अभाव में विधि द्वारा वर्जित होने से काबिले ख़ारिज है | इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रति पंजीकृत अभिलेख दिनांक 13.07.2005 का मनन किया गया | उक्त पंजीकृत दस्तावेज में दस्तावेज के अभिकर्ता ने यह स्पष्ट अंकित किया है कि "मेरे कोई जायन्दा पुत्र/पुत्री सन्तान नही है | यह की "मेरे पति नारायण के चाचा सेवाराम उर्फ़ सुवाराम के पुत्र लालचन्द को मेने गोद पुत्र ले रखा है मेरे पति नारायण का स्वर्गवास लगभग 30 वर्ष पूर्व ही हो चूका था तब मेरे पति नारायण के चाचा सेवाराम उर्फ़ सुवाराम के पुत्र लालचन्द के पगड़ी रस्म अदा हुई थी लेकिन पूर्व में गोदनामा नही हुआ करता था तथा क़ानूनी ज्ञान नही होने के कारण मैंने गोदनामा नही बनवाया था" उक्त इबादत से प्रथमद्रष्टया यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है की वादी नारायण का गौद पुत्र था जो कि प्रतिवादी संख्या 1 दस्तावेज निष्पादितकर्ता की स्वीकारोक्ति से सिद्द है | अत: प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (घ) सी पी सी का यह तथ्य

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
82/2016	लालचन्द / तीला	

अमान्य हो जाता है कि किसी गौद पत्र की घोषणा शेष है जो कि सिविल न्यायालय से होना हो। वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल रूप से वाद खातेदारी घोषणा का है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (घ) जाप्ता दीवानी के पैरा नम्बर 2 में यह अंकित किया गया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की मद संख्या 6 व अनुतोष की मद संख्या क में अंकित अभिवचनो के आधार पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.07.2014 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय में निहित नही होकर सक्षम सिविल अदालत को निहित है जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त उनवानी प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में पोषणीय नही होने से ख़ारिजे काबिल है। इस बिन्दु के सन्दर्भ में वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद के अनुतोष पैरा (क) का अवलोकन किया गया, जिसमे वादी द्वारा अंकित किया गया है कि" वाद वादी विरुद्द प्रतिवादीगण बाबत घोषणा खातेदारी अधिकारों की वाद पत्र के मद संख्या 1 में अंकित आराजीयात की जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 6 के हक़ में किये गये विक्रय पत्रों का वादी के हको तक प्रभावशून्य किया जावे। उक्त अनुतोष पैरे से यह स्पष्ट हो जाता है कि वादी द्वारा वाद के माध्यम से प्रमुख अनुतोष उसे खातेदार घोषित किये जाने का है एवं जो बैचान पत्र कोउसके हक़ तक प्रभावशून्य घोषित किये जाने का अनुतोष है वह खातेदारी घोषणा के परिणामस्वरूप चाहगया अनुतोष है। जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने वाद के माध्यम से मात्र बैचान पत्र के निरस्त किये जाने का अनुतोष नही चाहा गया है, ऐसे मामलो में घोषणा के वाद को सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय में निहित है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद राजस्व न्यायालय में सधारणीय नही होने से ख़ारिज किया गया है वह आधारहीन है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 7 नियम 11 (घ) सी पी सी आधारहीन होने से ख़ारिज किया जाता है एवं उसके

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लालचन्द / तीजा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
82/2016	परिपेक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2016 निरस्त किया जाकर अपील अपीलार्थी तदनुसार स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय की मूल वाद के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर